786

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 67वीं बैठक दिनांक 11.03.98 का कार्यवाही विवरण

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: प(77-65)/ई.सी./मिटिंग/97/2098 दिनांक:- 16.3.98

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 67वीं बैठक दिनांक 11.03.98 का कार्यवाही विवरण।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक प(77-67)/ई.सी./मिटिंग/97/2089 दिनांक 10.3.98 के अन्तर्गत जारी सूचना पत्र के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण की 67 वीं बैठक दिनांक 11.03.98 को प्रातः 11.00 बजे प्राधिकरण के समिति कक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण संलग्न परिशिष्ठ "क" पर अंकित है।

बैठक में विचार विमर्श के सन्दर्भ में एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नांकित विवरणानुसार निर्णय लिये गये।

प्रस्ताव 67.1	कार्यकारी समिति की 66 वीं बैठक की पुष्टि।
पारित प्रस्ताव 67.1 प. 2(77-67)E.C./M/97	कार्यकारी समिति की 66 वी बैठक दिनांक 10.2.98 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया जाकर पारित प्रस्ताव 66.5 में "बिन्दू संख्या 2 में जोड़ा जावे" के स्थान पर "बिन्दू संख्या 4 में जोड़ा जावे" की शुद्धि के साथ पुष्टि की गई।
प्रस्ताव 67.2	कार्यकारी समिति की 66 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति।
पारित प्रस्ताव 67.2	कार्यकारी समिति की 66वीं बैठक के निर्णय की क्रियान्विति रिपोर्ट का परिशिष्ठि 2 पर अवलोकन किया जाकर निर्देशित किया गया कि आईटम संख्या 65.5, 65.6, 66.7, 66.9(3), 66.9(5) की अनुपालना आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
प्रस्ताव 67.3	प्राधिकरण के अधिकारियों को वित्तीय शक्तियाँ प्रदत्त करने के सम्बन्ध में।
पारित प्रस्ताव 67.3 F-7(5)JDA/CEI/97	प्राधिकरण के अधिकारियों को वित्तीय शक्तियाँ प्रदत्त करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत एजेण्डा आईटम एवं निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (अभियान्त्रिकी) की टिप्पणी का अवलोकन किया गया एवं विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

787

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 67वीं बैठक दिनांक 11.03.98 का कार्यवाही विवरण

प्रस्ताव 67.4	प्राधिकरण में विशेषाधिकारी (आर.यू.आई.डी.पी.) का एक पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।
पारित प्रस्ताव 67.4 F 6(1) JDA/ESH/98	प्रस्तावित एजेण्डा का अवलोकन किया जाकर विचार विमर्श उपरान्त प्राधिकरण में विशेषाधिकारी (आर.यू.आई.डी.पी.) के पद का आवश्यकतानुसार 3 माह हेतु सृजित करने के लिए जयपुर विकास आयुक्त को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव 67.5	वर्दी की पात्रता रखने वाले कर्मचारियों को ठण्डी तथा गर्म वदी दिलवाने बाबत।
पारित प्रस्ताव 67.5 प-6(146)जाविप्रा/सा.यो./ठंडी वर्दी/93	प्रस्तुत एजेण्डा आईटम का अवलोकन किया गया तथा इस विषय में वर्दी की पात्रता रखने वाले कर्मचारियों को ठण्डी एवं गर्म वर्दी दिलवाने बाबत निर्णय लेने हेतु जयपुर विकास आयुक्त को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव 67.6	निजी सचिव का एक पद वरिष्ठ निजी सचिव में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।
पारित प्रस्ताव 67.6 F-7(1)जाविप्रा/संस्था/97	प्रस्तुत एजेण्डा आईटम का अवलोकन किया जाकर विचार विमर्श उपरान्त पुनः परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
प्रस्ताव 67.7(1)	प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति की समीक्षा बाबत्।
पारित प्रस्ताव 67.7(1) F-2(29)जाविप्रा/लेखा/मु./97	प्रस्तुत एजेण्डा आईटम का अवलोकन कर इस विषय में चिन्ता व्यक्त की गई कि प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति निम्न कारणों से संकट में है। (i) भूमि की कीमतों में गिरावट। (ii) प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से नवीन कालोनियाँ नही काटने से। (iii) प्राधिकरण की अवैध अतिक्रमणों को रोकने में असमर्थता। (iv) राज्य सरकार से वित्तीय सहायता का अभाव। (v) अन्य विभागों जैसे कि जयपुर मैटल एण्ड इलैक्ट्रील्स लिमिटेड और जयपुर नगर निगम आदि का अत्यधिक मात्रा में असमायोजित अग्रिम। इस विषय पर निदेशक (वित्त) को निर्देश दिये गये कि ऐसे अग्रिम को वापस प्राप्त करने हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यवाही अमल में लाई जावे। (vi) रियायती दरों पर भू आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को बाध्य करने से।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 67वीं बैठक दिनांक 11.03.98 का कार्यवाही विवरण

उपरोक्त कारणों से जयपुर शहर का अनियन्त्रित विकास होने से काफी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। तथा प्राधिकरण अधिनियम में दिये गये उद्देश्यों की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं रह पा रहा है। अत: वित्तीय संकट को नियंत्रित रखने हेतु विचार विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:-

(i) कि किसी अच्छे संस्था या स्वंय द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्य प्रणाली की वैज्ञानिक अध्ययन करवाया जाकर पूर्व में किये गये निर्णय के अनुसार 30 प्रतिशत की कमी की जावे। नई नियुक्ति पर पूर्णत: प्रतिबन्ध की कडाई से पालना की जावे।

(ii) कि इस समिति के पूर्व स्वीकृति के बिना किसी प्रकार की राशि किसी संस्था, व्यक्ति को अग्रिम व अनुदान के रूप में हस्तान्तरित नहीं की जावेगी।

(iii) सभी प्रकार के बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर दी जावे।

(iv) प्राधिकरण की सम्पत्ति की नीलामी हेतु समाचार पत्रों के मार्फत जो विज्ञप्ति दी जाती है उसे और आकर्षक बनायी जावे ताकि जन साधारण को ज्यादा से ज्यादा सूचना मिल सके और प्राधिकरण द्वारा तय नीलामी की नई शर्तो पर वाणिज्यक निलामीयां प्रारम्भ की जायें।

(v) रियायती दर पर सम्पत्ति का आवंटन नहीं किये जाये और पृथ्वीराज नगर योजना को प्रारंभ करने हेतु, राज्य सरकार को निवेदन किया जाये।

प्रस्ताव 67.7(2) — कार्यकारी समिति की 66वीं बैठक दिनांक 20.2.98 को पारित प्रस्ताव 66.9(6) में लिए गये निर्णय की पुष्टि बाबत।

पारित प्रस्ताव 67.7(2) — प्रस्तुत एजेण्डा आईटम का अवलोकन किया जाकर विचार विमर्श उपरान्त शहरी भूमि निस्पादन नियमों के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा योजनाओं एवं निजी कालोनियों की सुरक्षित दर निर्धारित करने के आदेश क्रमांक एफ 1(61)जविप्रा/मुराअ/एस.ए./86/डी-261 दिनांक 10.3.98 की पुष्टि की गयी।

F-1(61)जविप्रा/CRO/86

तत्पश्चात् बैठक में कोई अन्य बिन्दु विचारार्थ अवशेष नहीं होने पर बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 67 वीं बैठक दिनांक 11.3.98 मे उपस्थित अधिकारियों की सूची :-

क्रम सं.	नाम व पद	हस्ताक्षर
1.	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
2.	प्रबंध निदेशक, रीको, जयपुर	
3.	जिला कलेक्टर, जयपुर	
4.	प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर	
5.	मुख्य अभियन्ता, सार्व0 निमार्ण विभाग	
6.	मुख्य अभियन्ता, जन0स्वा0 अभियांत्रिकी, विभाग	ACE PHED
7.	मुख्य अभियन्ता (ओ. एण्ड. एम.) विद्युत मण्डल	ACE PHED(U)
8.	प्रबंध निदेशक, राजस्थान पर्यटन निगम	
9.	पुलिस अधीक्षक, जयपुर (SOUTH)	
10.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम	
11.	निदेशक (वित्त) जविप्रा	
12.	निदेशक (अभियांत्रिकी) जविप्रा	
13.	निदेशक (आयोजना) जविप्रा	11.3.98
14.	सचिव, जविप्रा	
15.	उप शासन सचिव, नविभा	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर